UPMZ010077702026

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

उपस्थितः बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3358 सन 2026

1. प्रिन्स
2. अश्वनी

पुत्रगण त्रिपाल
निवासीगण ग्राम मोरना थाना भोपा
जनपद मुजफफरनगर

—आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—अभियोजन पक्ष

अपराध संख्या—147 सन 2026
धारा—296, 333, 115 (2), 110, 351(3)
74, 76, 331(6)
भारतीय न्याय संहिता
थाना— भोपा
जनपद— मुजफ्फरनगर

21.07.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से थाना भोपा के अपराध संख्या—147 सन 2026 धारा—296, 333, 115 (2), 110, 351(3) 74, 76, 331(6) भारतीय न्याय संहिता के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदकगण/अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उन्हे इस मामले में झूठा गांव की पार्टीबाजी के कारण फँसाया गया है।

यह भी कहा गया है कि वादी मुकदमा के लडके अवैध रूप से सुल्फा बेचने का काम करते हैं तथा आवेदकगण/अभियुक्तगण व अन्य गांव वालों द्वारा उन्हें ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया गया तो वादी ने उन्हें व उनके परिजनों के साथ दिनांक 29.05.2026 को सायं साढे सात बजे गाली गलौज करते हुए मारपीट की जिसमें आवेदक/अभियुक्त प्रिंस के अंगूठे की हडडी भी टूट गयी थी जिसकी बाबत आवेदकगण/अभियुक्तगण की माता सुशीला ने थाना भोपा पर तहरीर दी थी। इसी रंजिशक` कारण उन्हें इस मामले में झूठा फंसा दिया गया।

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.21 17:27:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि कथित चुटैल को चोटें सडक पर गिरने से आयी हैं तथा आयी चोटें साधारण प्रकृति की हैं।

अंत में कहा गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस प्रकार जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी। समर्थन में शपथ पत्र, विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय का खारजा आदेश दाखिल किया गया है।

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा कहा गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्व गंभीर प्रकृति का आरोप है। वादिया मुकदमा व चुटैल नीरज ने अपने बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। इस प्रकार आरोप को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

4. प्राथमिकी के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रस्तुत मामले की प्राथमिकी वादिया मुकदमा ओमवती द्वारा घटना दिनांकित 29.05.2026 समय 21.00 बजे घटनास्थल मोरना थानांतर्गत भोपा के संबंध मे दिनांक 03.06.2026 समय 18.17 बजे थाना भोपा पर इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 29.05.2026 की रात्रि नौ बजे वादिया मुकदमा व उसकी पुत्रवधु अंजलि घर पर मौजूद थी। तभी पडौसी प्रिन्स, अश्वनी उसकी पुत्रवधु को देखकर गंदे इशारे करने लगे व अश्लील फब्तियां कसने लगे। उसकी पुत्रवधु ने उसे आकर बताया तो उसने उक्त दोनों लडकों को टोक दिया। जिस पर वे आग बबूला हो गये और अपेन पिता त्रिपाल को भी बुला लाये व उनके घ ार के अन्दर लाठी डंडे व रॉड लेकर घुस आये और आते ही वादिया के साथ मारपीटाई शुरू कर दी और उसे नीचे गिराकर प्रिन्स ने उसकी आंख पर मुक्के का जोर दार प्रहार किया जिससे उस दिखना बंद हो गया। इसके बाद भी इन्होंने उसे लाठी डंडो से बुरी तरह मारा पीटा। पुत्रवधु ने बीच बचाव कराया तो उसके साथ बुरी नीयत से छेडखानी करते हुए कपडे फाड दिये। शोर पर अन्दर टीवी देखता हुआ उसका पुत्र नीरज घर से कमरे से बाहर आया तो उसके सिर में प्रिन्स ने भारी लोहे की रॉड से प्रहार किया जिससे वह लहु लुहान होकर बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद भी ये लोग उसे, उसके पुत्र व पुत्रवधु को जान से मारने की धमकी देकर गये। वह अपने पुत्र को अपनी पुत्रवधु की मदद से अस्पताल लेकर पहुंची जहां उसके सिर में 7 टांके आये। उसे तथा उसके पुत्र एवं पुत्रवधु को इन लोगों से जान का खतरा बना हुआ है। उनका मौहल्ले में एक ही घर है। इन लोगों के कई घर हैं। ये रोजाना ही गली में घर के बाहर खाट आदि बिछाकर चौकडी लगा लेते हैं। पहले भी ये उसकी पुत्रवधु के साथ अश्लील हरकते कर चुके हैं।

5. अतः अभियोजन कथानक अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्व वादिया मुकदमा के घर में घुसकर लाठी डंडो व लोहे की रॉड से हमला करके

वादिया मुकदमा व उसके पुत्र के साथ मारपीट कर चोटें पहुंचाने और उसकी पुत्रवधु के साथ छेडछाड करने का आरोप बताया गया है।

केस डायरी में चुटैल नीरज व वादिया मुकदमा ओमवती की चिकित्सीय परीक्षण आख्याएं संलग्न हैं। चुटैल नीरज की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें आना उल्लिखित किया गया है :–

1. Stitched wound 6.5 cm long with 7 stitchs present over right side skull. Xray skull.

चुटैल ओमवती की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें आना उल्लिखित किया गया है :–

1. Contusion of size 6 x 4 cm on lateral aspect of right forearm just above right wrist joint.
2. Contusion of size 2 x 1.5 cm on left forearm 16 cm above from left wrist joint.
3. Contusion of size 8 x 1.5 cm on left forearm 3 cm above from wrist joint.

चुटैल नीरज की पूरक आख्या के अनुसार जेरे निगरानी रखी गयी चोट को साधारण प्रकृति की बताया गया है। इसी प्रकार चुटैल ओमवती की सभी चोटों को साधारण प्रकृति की बताया गया है। संबधित थाने की आख्या के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण का इस मामले के अलावा अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वे दिनांक 20.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मददेनजर गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार अभियुक्तगण **प्रिन्स एवं अश्वनी पुत्रगण त्रिपाल** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा अंकन 50,000/– 50,000/– पचास पचास हजार रूपये की दो दो जमानते तथा इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तो के तहत जमानत पर रिहा किया जाये :–

1. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा तलब किये जाने व नियत की गयी तिथियों पर उपस्थित होंगे तथा विचारण में सहयेाग करेंगे।

2. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्ररेणा, धमकी या वचन नहीं देंगे,

जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

4. यह कि आवेदकगण/अभियुक्तगण बंध पत्र की शर्तो का कठोर पालन करेंगे।

(क) ऐसे व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बंध पत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होंगे।

(ख) ऐसे व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेंगे।

(ग) ऐसे व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण नहीं करेंगे, धमकी या वचन नहीं देंगे या साक्ष्य को नहीं बिगाडेंगे।

5. आवेदकगण/अभियुक्तगण बंध पत्र दाखिल करेंगे–''अभियुक्तगण विच. ारण के पूर्ण होंनें के छह माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस. तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है, तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।''

6. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

7. आवेदकगण/अभियुक्तगण इस आशय का एक बंध पत्र दाखिल करेंगे कि, वे विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेंगे। इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधि ाकार होगा कि, संबंधित न्यायालय अभियुक्त द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्व विधिसम्मत आदेश पारित करे।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सेशन न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

दिनांक : 21.07.2026

sv